

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3648

जिसका उत्तर सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

गोल्ड लोन में गैर-निष्पादित आस्तियाँ

†3648. डॉ. सी.एम. रमेश:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार देश में 18.62 लाख करोड़ रुपये के बकाया गोल्ड लोन में पाँच दक्षिणी राज्यों की हिस्सेदारी 75% है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या यह भी सच है कि 3.09 लाख करोड़ रुपये के साथ आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर तथा 1.6 लाख करोड़ रुपये के साथ तेलंगाना चौथे स्थान पर है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या गोल्ड लोन में तीव्र वृद्धि से कोई प्रणालीगत अथवा वित्तीय स्थिरता संबंधी जोखिम उत्पन्न होता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या यह भी सच है कि गृह ऋण के पश्चात खुदरा ऋण में गोल्ड लोन दूसरा सबसे बड़ा उत्पाद बन गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) गोल्ड लोन में गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) का ब्यौरा क्या है तथा क्या विगत 4 से 5 वर्षों के दौरान गोल्ड लोन में एनपीए की बढ़ती प्रवृत्ति दर्ज की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) गोल्ड लोन को विनियमित करने और उधारकर्ताओं की सुरक्षा हेतु सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि वह बकाया गोल्ड लोन के संबंध में राज्य-वार सूचना का रखरखाव नहीं करता है। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 31 मार्च, 2026 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बकाया गोल्ड लोन का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

(ग): आरबीआई ने सूचित किया है कि, जैसा कि जून 2026 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) में उल्लेख किया गया है, गोल्ड लोन में तीव्र वृद्धि को सोने की बढ़ती कीमतों से समर्थन मिलता रहा है। गोल्ड लोन में वृद्धि होने के बावजूद बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) में लोन-टू-वैल्यू (एलटीवी) अनुपात में गिरावट आई है, जिससे संपार्श्विक बफर मजबूत हुआ है और सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव के लिए ऋणदाताओं को स्थायित्व मिला है। इसने यह भी सूचित किया है कि गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में आस्ति की गुणवत्ता स्थिर बनी हुई है, जो ऋणदाताओं की मजबूत संपार्श्विक स्थिति को दर्शाती है।

गोल्ड के बदले दिए जाने वाले ऋण वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) तथा आबादी के सुविधावंचित वर्गों तक ऋण की पहुँच प्रदान करने में अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं, जो इस वर्ग के पहली बार बैंकिंग प्रणाली से जुड़ने वाले या पहली बार ऋण लेने वाले ग्राहकों को बैंकों और एनबीएफसी सहित औपचारिक ऋण चैनलों के दायरे में लाते हैं और यह ऐसे उधारकर्ताओं की सुरक्षा भी करते हैं, जो अन्यथा असंगठित क्षेत्र का रुख कर सकते थे और अत्यधिक ब्याज दरों एवं प्रतिकूल ऋण शर्तों के शिकार हो सकते थे।

(घ): भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार, खुदरा ऋण में सबसे बड़ा उत्पाद आवास ऋण है जिसके बाद व्यक्तिगत ऋण और वाहन ऋण हैं।

(ङ): पिछले पांच वर्षों के दौरान गोल्ड लोन से संबंधित चूकों की संख्या में गिरावट आई है। एससीबी के गोल्ड लोन के लिए सकल गैर-निष्पादित आस्ति (जीएनपीए) अनुपात 31 मार्च, 2023 को 0.19 प्रतिशत से घटकर 31 मार्च, 2026 तक 0.12 प्रतिशत हो गया है। इसी तरह, इसी अवधि के दौरान एनबीएफसी के गोल्ड लोन के लिए जीएनपीए अनुपात 2.32% से घटकर 0.81% हो गया है। संबंधित ब्यौरा अनुबंध-2 में दिया गया है।

(च): आरबीआई ने बैंक, सहकारी बैंक और एनबीएफसी में सोने के बदले ऋण देने के नियमों में सामंजस्य लाने के साथ-साथ जिम्मेदाराना लेंडिंग, गिरवी रखे गहनों के मूल्यांकन और उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने के लिए जून 2025 में 'सोने और चांदी के बदले ऋण देने पर दिशानिर्देश' जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश विवेकपूर्ण लोन-टू-वैल्यू (एलटीवी) मानदंडों और सोने के मूल्यांकन के मानकीकरण का प्रावधान करते हैं।

इसके अलावा, वसूली के दौरान उधारकर्ताओं को मजबूरन बिक्री से बचाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ नीलामी से पूर्व पर्याप्त पूर्व सूचना, वर्तमान संपार्श्विक मूल्य के कम से कम 90 प्रतिशत का आरक्षित मूल्य, देय राशियों के समायोजन के बाद प्राप्त किसी अधिशेष की वापसी और पारदर्शी परख, मूल्यांकन, नीलामी और वसूली पद्धतियों को निर्धारित किया है। नियामक ढांचे में गिरवी रखी गई संपार्श्विक राशि जारी करने में विलंब के लिए शुल्कों का अग्रिम प्रकटीकरण, मानकीकृत दस्तावेज और मुआवजे की भी आवश्यकता होती है, जिससे उपभोक्ता संरक्षण मजबूत होता है और उधारकर्ताओं के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित होता है।

"गोल्ड लोन में गैर-निष्पादित आस्तियाँ" के संबंध में दिनांक 10.8.2026 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3648 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए राज्य-वार बकाया स्वर्ण ऋण

(राशि, करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31.3.2026 की स्थिति के अनुसार
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2,501
2	आंध्र प्रदेश	2,22,953
3	अरुणाचल प्रदेश	0
4	असम	624
5	बिहार	5,717
6	चंडीगढ़	479
7	छत्तीसगढ़	2,001
8	दादरा और नगर हवेली	129
9	दमन और दीव	63
10	दिल्ली	5,720
11	गोवा	2,281
12	गुजरात	23,381
13	हरियाणा	9,161
14	हिमाचल प्रदेश	971
15	जम्मू और कश्मीर	845
16	झारखंड	1,705
17	कर्नाटक	98,962
18	केरल	83,657
19	लद्दाख	0.22
20	लक्षद्वीप	21
21	मध्य प्रदेश	19,028
22	महाराष्ट्र	45,710
23	मणिपुर	1,030
24	मेघालय	25
25	मिजोरम	0.12
26	नागालैंड	7
27	ओडिशा	16,846
28	पुदुचेरी	10,302
29	पंजाब	13,057
30	राजस्थान	19,705
31	सिक्किम	13
32	तमिलनाडु	4,11,656
33	तेलंगाना	92,394
34	त्रिपुरा	279
35	उत्तर प्रदेश	21,745
36	उत्तराखंड	1,986
37	पश्चिम बंगाल	16,957

* स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

"गोल्ड लोन में गैर-निष्पादित आस्तियाँ" के संबंध में दिनांक 10.8.2026 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3648 के उत्तर के भाग (ड) में उल्लिखित अनुबंध

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और एनबीएफसी (मध्य और ऊपरी परत) का डेटा – गोल्ड लोन जीएनपीए अनुपात

बैंक समूह का नाम				
	31-03-23	31-03-24	31-03-25	31-03-26
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	0.19	0.19	0.22	0.12
एनबीएफसी	2.32	2.35	2.13	0.81

* स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)

*जीएनपीए अनुपात को आरबीआई द्वारा दिए गए एनपीए और गोल्ड लोन बकाया आंकड़ों के आधार पर संकलित किया जाता है

* मार्च 2026 के आंकड़े अनंतिम हैं

* 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार, आरबीआई में पंजीकृत एनबीएफसी की सूची के अनुसार मध्य और ऊपरी स्तर में एनबीएफसी (सीआईसी, पीडी और एचएफसी को छोड़कर) के लिए आंकड़े प्रदान किए गए हैं।
